

5/8/25 परावली पेथी में ली गई। तार्थका पत्र
अस्वीकार किया जाता है विल्लत
निर्णय अलग से लिखवाया जाऊ
रुखे इजलास सुनाया गया।
परावली नंबर के रुम की
जाकर कालिदास कपल की जाती
इ आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़